



**Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.**

**(A Government of India Enterprises)**

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001  
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

[www.dfccil.gov.in](http://www.dfccil.gov.in)

No. 2019/HQ/Admin/RTI-433

New Delhi: 17.06.2019

Sh. Pankaj Kumar  
S/o Late Sh. Brahampal Singh  
R/o Village Gesupur  
Baphawat Par Daurala  
Tehsil Sardhana District- Meerut  
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

**Reference: Your RTI application dated 20.05.19 received through CPM/Meerut's office on 17.06.19.**

You have submitted your above RTI application at CPM/Meerut's office, The CPM/Meerut's office, here the deemed PIO, has forwarded the same along with their reply to this office which is attached.

Appellate Authority's name and address are as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,  
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)

Dy. G.M./Admn.(PIO)

**E-mail: [skpanda@dfcc.co.in](mailto:skpanda@dfcc.co.in)**

**9717636811**

DA: 01 sheet.



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.  
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम  
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.  
A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

पत्रांक: एमटीसी/ईएन/आर0टी0आई0/माग-6

दिनांक: 14.06.2019

डिप्टी जी0एम0/एडमीन (पी0आई0ओ0)  
कॉरपोरेट ऑफिस डीएफसीसीआईएल  
प्रगति मैदान नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आवेदनकर्ता श्री पंकज कुमार पुत्र स्व. ब्रहमपाल सिंह निवासी ग्राम गैसूपुर वफावत परगना  
दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ का प्रार्थना पत्र दिनांक: 20.05.2019

आवेदनकर्ता श्री पंकज कुमार पुत्र स्व. ब्रहमपाल सिंह निवासी ग्राम गैसूपुर वफावत परगना  
दौराला तहसील सरधना जिला द्वारा निम्नलिखित सूचना चाही गई है:-

1. यह कि रेलवे की विशेष परियोजना के अर्न्तगत जिला मेरठ से गुजरने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर की रेल लाईन जो जिला मेरठ के ग्राम गैसूपुर वफावत पर दौराला तहसील सरधना मेरठ से भी गुजर रही है उपरोक्त रेल लाईन के दोनों ओर किलने मीटर अथवा फुट तक खेतों में से मिटटी उठाना या किसी अन्य से मिटटी उठवाना रेलवे के नियमों के अनुसार प्रतिबाधित है।
2. अगर किसी व्यक्ति द्वारा मिटटी उठाकर अथवा उठवाकर रेलवे लाईन के पास गहरा किया जाता है अर्थात् गड्डे कर दिये जाते हैं तो रेलवे के नियमों के अनुसार क्या दण्ड का प्रतिधान है।
3. यह कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे लाईन के बराबर से मिटटी उठवाता है या रेलवे का ठेकेदार उठाता है तो इसके विरुद्ध किस सक्षम अधिकारी को सूचना दी जावे ये किस सक्षम अधिकारी के यहाँ कार्यवाही की जावे।

सम्बन्धित पत्र के सम्बन्ध में चाही गई सूचना में अवगत कराना है कि आवेदनकर्ता डीएफसीसीआईएल परियोजना से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के अर्न्तगत आवेदनकर्ता के तृतीय पक्षकार होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

संलग्नक: आवेदनकर्ता का प्रार्थना पत्र।

उप.परियोजना प्रबन्धक / उप.जनसूचना अधिकारी  
डी0एफ0सी0आई0एल0, मेरठ।